



2026:AHC: 57670

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1790 वर्ष 2026

जगदीश कुमार और एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: संजय कुमार दुबे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, महेश शर्मा

न्यायालय संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार दुबे के ब्रीफ होल्डर श्री सुनील कुमार दुबे, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश शर्मा के ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार वर्मा, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान आवेदन पुलिस स्टेशन हाथरस, जिला हाथरस में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 294 वर्ष 2016, भा.द.सं. की धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मांगने के लिए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जा सके।

3- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस वाद में झूठा फँसाया गया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त राम गोपाल उर्फ पप्पू को इस न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4347 वर्ष 2022 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत दे दी गई है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष संज्ञान के साथ-साथ आरोप-पत्र को चुनौती दी गई है, हालाँकि, उक्त आवेदन में कोई अंतरिम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश पारित नहीं किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और वे विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4- दूसरी ओर, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण विचारण में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का विरोध किया है।

6- सह-अभियुक्त राम गोपाल उर्फ पप्पू को इस न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4347 वर्ष 2022 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत दे दी गई है और आवेदकों की भूमिका आवेदकों (सह-अभियुक्त) की भूमिका से अलग नहीं है। इस वाद में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7- यह बताया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ संपूर्ण उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त के सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

8- वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरण, आवेदक की भूमिका और वाद के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9- अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10- पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदकों - जगदीश कुमार और आलोक कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदकगण साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदकगण संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11- किसी भी शर्त की चूक के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने लिए उपयुक्त आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

20 मार्च, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)